



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 4629/2026

मीना

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थिनी (गण) के अधिवक्ता : - देवेन्द्र कुमार

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 12

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

प्रार्थिनी की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना - बिहार, जिला-उन्नाव में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 333, 115(2), 191(1), 190, 103(1), 118(1), 3(5) के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 105/2026 में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थिनी एक महिला है, वह निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रार्थिनी किसी भी अपराध को करने में संलिप्त नहीं थी। अपराध करने का विशिष्ट आरोप सह-अभियुक्त दीपक और राज कुमार के विरुद्ध है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि

प्रार्थिनी का घटना स्थल पर उपस्थित होना कहा गया है और उसे कोई विशिष्ट भूमिका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नहीं सौंपी गई है। वर्तमान प्रार्थिनी की भूमिका अन्य सह-अभियुक्तों से भिन्न है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास/पूर्ववृत्त नहीं है और वह दिनांक 05.04.2024 से जेल में निरुद्ध है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रार्थिनी वचन देती है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि प्रार्थिनी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है तथा प्रार्थिनी और सह-अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं। इसलिए, प्रार्थिनी किसी भी अनुतोष की हकदार नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद तथा पत्रावली पर प्रस्तुत की गई सामग्री के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थिनी एक महिला है, जिसकी आयु 28 वर्ष है और उसने घटना में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं निभाई है। यह न्यायालय ने यह भी पाया है कि विशिष्ट भूमिका सह-अभियुक्त दीपक और राज कुमार को सौंपी गई है। प्रार्थिनी की भूमिका सह-अभियुक्तों से भिन्न है। प्रार्थिनी दिनांक 05.04.2026 से जेल में निरुद्ध है और प्रार्थिनी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, जैसा कि जमानत प्रार्थनापत्र के पैरा 9 में स्पष्ट किया गया है। प्रार्थिनी ने वचन दिया है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और पत्रावली पर प्रस्तुत की गई सामग्री का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थिनी दिनांक 13.05.2026 से जेल में बंद है और प्रार्थिनी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, जैसा कि जमानत प्रार्थनापत्र के पैरा 13 में स्पष्ट किया गया है। प्रार्थिनी ने वचन दिया है कि यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोषों पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

उपरोक्त अपराध में संलिप्त प्रार्थिनी- **मीना** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जाए:-

(1) प्रार्थिनी विवेचना या विचारण के दौरान साक्षियों को डराकर/धमकाकर या किसी अन्य तरीके से अभियोजन साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगी;

(2) प्रार्थिनी इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगी कि जब न्यायालय में साक्षी उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगी। वह व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत की गई प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा;

(3) प्रार्थिनी (i) विचारण के प्रारंभ होने, (ii) आरोप विरचित होने, और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी; और

(4) यदि प्रार्थिनी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और प्रार्थिनी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहती है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संहिता की धारा 174-क के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

प्रतिभूगण की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने और प्रार्थिनी को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां कठोरतापूर्वक इस जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इसे मामले के गुण-दोष पर किसी प्रकार के प्रभाव के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

25 जून, 2026

आरती

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।